इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 160] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 मई 2020—वैशाख 11, शक 1942

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 1 मई 2020

क्र. 5860-71-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक ४ सन् २०२०

मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश, २०२०

["मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १ मई, २०२० को प्रथम बार प्रकाशित किया गया.]

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २४ सन् १९७३) को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

चूंकि, राज्य विधान-मंडल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, कि वे तुरंत कार्रवाई करें;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (संशोधन) अध्यादेश, २०२० है.

(२) यह इसके राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. २४ सन् १९७३ को अस्थाई रूप से संशोधित किया जाना.

२. इस अध्यादेश के प्रवृत्त रहने की कालावधि के दौरान, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २४ सन् १९७३) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) धारा ३ से ५ में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अध्यधीन प्रभावी होगा.

धारा २ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा २ में खण्ड (ङङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात्:—

(एक) "ङङङ संचालक" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा अधिनियम या नियमों के उपबंधों के अधीन कृषि विपणन के संचालक की ऐसी शक्तियों का प्रयोग, कृत्यों का निष्पादन करने के लिए नियुक्त किए गए राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध संचालक से भिन्न या अन्य कोई अधिकारी जो राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड के प्रबंधन को निदेशित, शासित और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होगा;

ङङङङ "इलेक्ट्रानिक ट्रेडिंग" से अभिप्रेत है, अधिसूचित कृषिक उपज की ट्रेडिंग जिसमें अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (१) के खण्ड (ग) के अधीन स्थापित कम्प्यूटर नेटवर्क/इंटरनेट पर रजिस्ट्रेशन, नीलामी, बिलिंग, संविदा, मोल-भाव सूचना का आदान-प्रदान, अभिलेखों का रख-रखाव और उससे संबंधित गतिविधियां इलेक्ट्रानिकली की जाती है;";

(दो) खण्ड (ङङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए अर्थात्:—

"(ङङ 1) "निजी मंडी प्रांगण" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (१) के खण्ड (घ) के अधीन स्थापित मंडी प्रांगण.".

४. मूल अधिनियम की धारा ५ में उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित किया जाये, अर्थात्:— **धारा ५ का संशोधन.**

"(१) राज्य में,—

(क) मण्डी समिति द्वारा प्रबंधित मुख्य मण्डी प्रांगण;
(ख) मण्डी समिति द्वारा प्रबंधित उप मण्डी प्रांगण;
(ग) धारा ५ क के अधीन प्रदत्त अनुज्ञप्ति धारित करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा प्रबंधित निजी मण्डी प्रांगण, और
(घ) इलेक्ट्रानिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म
होंगे.".

धारा ५-क का अन्त:स्थापन.

५. मूल अधिनियम की धारा ५ के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

संचालक, कृषि मण्डी की शक्तियां और कृत्य.

"५-क (१) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी संचालक, कृषि मण्डी,—

(क) सम्पूर्ण राज्य या उसके भाग के लिए कृषि उत्पाद की ट्रेडिंग;
(ख) निजी मण्डी प्रांगण स्थापित करने के लिए;
(ग) इलेक्ट्रानिक ट्रेडिंग के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा.

(२) राज्य शासन उन शर्तों और निर्बधनों को विहित कर सकेगी जिन पर उपधारा (१) के अधीन अनुज्ञप्ति दी जा सकेगी.

(३) संचालक, कृषि मण्डी ट्रेडिंग और उसके समस्त गतिविधियों निजी प्रांगण और इलेक्ट्रानिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म को ऐसी रीति में निगमित करेगा जैसा कि विहित किया जाए.

(४) राज्य शासन उप धारा (१) के अधीन अुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए ऐसी फीस विहित कर सकेगी जैसी कि उसके द्वारा उचित समझी जाए.

(५) मण्डी फीस के उद्ग्रहण के संबंध में मूल अधिनियम की धारा १९ के उपबंध, उपधारा (१) के अधीन प्रदत्त अनुज्ञप्ति के अधीन उस सीमा तक और उस रीति में लागू होंगे जैसा कि राज्य शासन द्वारा विहित किया जाए.

भोपाल :
तारीख : १ मई, २०२०.

लाल जी टंडन
राज्यपाल,
मध्यप्रदेश.

भोपाल, दिनांक 1 मई 2020

क्र. 5860-71-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, २०२० (क्रमांक ४ सन् २०२०) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

MADHYA PRADESH ORDINANCE
No. 4 of 2020

THE MADHYA PRADESH KRISHI UPAJ MANDI (SANSHODHAN) ADHYADESH, 2020

[First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 1st May 2020.]

Promulgated by the Governor in the seventy first year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972.

Whereas, the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:—

Short title and commencement.

1. (1) This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi (Sanshodhan) Adhyadesh, 2020.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Madhya Pradesh Act No. 24 of 1973 to be temporarily amended.

2. During the period of opration of this Ordinance, the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) (hereinafter refrred to as the principal Act), shall have effect subject to the amendments specified in Section 3 to 5.

Amendment of Section-2.

3. In Section 2 of the principal Act, after clause (ee), the folowing clauses shall be inserted, namely:—

(i) "(eee) "Director" means the Director of Agricultural Marketing or any other officer, excluding managing, Director of State Agricultural Markting Board appointed by the State Government under the provisions of this Act and the rules made thereunder, who shall be responsible for directing, governing and controlling the management of State Agricultural Marketing Board;

(eeee) "Electronic Trading" means the trading of notified agricultural produce for which registration, auctioning, billing, booking contracting negotiating, information exchaging, record keeping and other connected activities are done electronically on computor network/internet, established under section 5(1)(d) of this Act;";

(ii) after clause (mm), the following clause shall be inserted namely:—

"(mm-1) "Private Market Yard" means a market yard established under clause (c) of sub-section (1) of Section 5.".

Amendment of Section-5.

4. In Section 5 of the principal Act, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(1) In the State there may be,—

(a) prinicpal market yard managed by the Market Committee;

(b) sub-market yard managed by the Market Committee;

(c) private market yard managed by a person, holding a licence granted under sec 5A; and

(d) Electronic Trading Platforms.".

Insertion of Section 5-A.

5. After Setion 5 of the principal Act, following section shall be inserted, namely:—

Powers and functions of Director Agricultural Markting.

" 5-A. (1) Notwithstanding anything contained in this Act, the Director of agricultural Marketing may grant licence for,—

(a) trading agricultural produce for the entire State or part thereof;

(b) establishing private market yard;

(c) electronic trading.

(2) The State Government may prescribe terms and conditions on which licence shall be granted under sub-section (1);

(3) Director, Agriculture Marketing shall regulate the trading and connected activities, private yards and electronic trading platforms in such manner as may be prescribed;

(4) The State Government may prescribe such fee for the grant of licence under sub-section (1), as it deems appropriate;

(5) The provisions of Section 19 of the principal Act with regard to levy of market fee shall apply to trading under licences granted under sub-section (1) to such extent and in such manner as the State Government may prescribe.

Bhopal :

Dated the 1st May, 2020.

LAL JI TANDON
Governor,
Madhya Pradesh.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020.